न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/170

गोविन्द लाल आत्मज चिमन लाल जाति पंजाबी खत्री निवासी कस्बा के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. लक्ष्मी बाई पत्नी राहुल पुत्री स्व0 गोविन्द लाल गुलाटी जाति पंजाबी निवासी 88 शोपिंग सेन्टर, कोआ ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. परियोजना निदेशक भूमि विकास के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. पुलिस उप अधीक्षक वृत्त के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. क्षेत्रीय आयुक्त महोदय, सीएडी कोटा ।
5. भारत भूषण आत्मज चिमनलाल जाति पंजाबी खत्री ।
6. देशराज आत्मज चिमनलाल जाति पंजाबी खत्री ।
7. शान्तिदेवी पुत्री चिमनलाल पत्नी पूरणचन्द मलिक जाति पंजाबी खत्री निवासी 573 शास्त्री नगर कोटा ।
8. लक्ष्मी बाई पत्नी राहुल पुत्री गोविन्द लाल गुलाटी जाति पंजाबी निवासी 88 शोपिंग सेन्टर कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रूपेश श्रृंगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तृप्ती गोरब बाहेती, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 7 एवं 8 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 29.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट (मृतक) ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 89, 188 एवं सपठित धारा 136 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1851 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1852 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 1853 रकबा 0.25 हैक्टर कुल 03 किता की रकबा 1.18 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीग कम 5 लगायत 8 के खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि के गत सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 1232 मिन रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा थे । वादी की खातेदारी की भूमि के दक्षिण में खसरा नम्बर 1849, 1850 एवं 1854 कुल 03 किता रकबा 1.00 हैक्टर गै0मु0 दफ्तर स्थित है जो कि प्रतिवादी कम 02 के खाते में अंकित है तथा उक्त भूमि प्रतिवादी कम 02 द्वारा प्रतिवादी कम 03 को अभी आवंटित की गई है जिस पर प्रतिवादी कम 03 का कार्यालय भवन निर्माणाधीन है । वादी की भूमि खसरा नम्बर 1852 के लगवा पूर्वी उत्तरी तरफ सरकारी नहर लाखेरी डिस्ट्रीब्यूटरी है जो प्रतिवादी कम 04 की है जिसके खसरा नम्बर 1833 है । उक्त नहर के पुराने खसरा नम्बर 1235 है जिसकी चौडाई सेटलमेंट से पूर्व करीब 24 मीटर थी जो बाद सेटलमेंट 60 मीटर गलत रूप से दर्शा रखी है । वादी वंशानुगत रूप से हमेशा पुराने रकबे व नक्शे अनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी की भूमि के उत्तर मुं मकानात बन रहे है। तथा पूर्व में नहर है तथा दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर वादी की भूमि के लगवां ही प्रतिवादी कम 02 के दो गोदाम निर्मित हैं जो करीब 35–40 साल पुराने हैं । इस प्रकार वादी ने कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। वादी ने अपनी भूमि व प्रतिवादीगण कम 1, 2, 3 व 4 की भूमि का नया पुराना नक्शा निकलवाकर देखा तो पाया कि वादी का नक्शा बाद सेटलमेंट 1995–2015 छोटा कर दिया व प्रतिवादी कम 04 की नहर खसरा नम्बर 1873 का नक्शा बडा कर दिया । बन्दोबस्त विभाग की त्रुटि का लाभ उठाकर प्रतिवादी कम 2 व 3 वादी की भूमि में अतिक्रमण कर कब्जा करने पर आमदा हो रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी का राजस्व नक्शा पुराने खसरा नम्बर 1232 मिन रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा के अनुपात में सही कर दुरूस्त किया जावे तथा नहर खसरा नम्बर 1873 का नक्शा सेटलमेंट से पूर्व की तरह कम करते हुए तरमीम किया जावे । प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित वादी के कब्जे काश्त की आराजी में वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और न ही ताकत के बल पर अतिक्रमण करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण कम 2 व 3 जबरन वादी की भूमि पर अतिक्रमण कर लें तो उन्हें उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 2 व 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 के द्वारा निर्णय पारित करते हुए आदेशित किया गया कि – "तहसीलदार, के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि वादी के खाते आराजी खसरा नम्बर 1851, 1852, 1853 कुल 03 किता की रकबा 1.18 हैक्टर वाके ग्राम के0 पाटन की सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की

उपस्थिति में विधिवत नाम–जोख व रकबा बरारी करवाकर जिसमें पुराना व नया नक्शा शामिल हो सेटलमेंट विभाग की रिपोर्ट अनुसार यदि सही पाया जाता है तो नक्शा दुरूस्त की कार्यवाही की जावे । वादीगण का स्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नहीं है ।"

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट (मृतक) गोविन्द लाल ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि कमीश्नर रिपोर्ट प्रदर्श–9 न्यायालय के आदेश से गठन किया गया जिसमें पटवारी माधोराजपुरा, पटवारी भीया, पटवारी के0 पाटन, भू–अभिलेख निरीक्षक भीया, व भू–अभिलेख निरीक्षक के0 पाटन द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 1847/2511 से सीमांकन प्रारम्भ कर तैयार की गई थी जिसमें खसरा नम्बर 1873 गै0मु0 नहर की चौडाई मौके पर दोनों तरफ से नापने पर रास्ता व ड्रेन सम्मिलित करते हुए 27 मीटर पायी गई जबकि वर्तमान नक्शे में उक्त चौडाई 48 मीटर दर्शायी गई है जिससे स्पष्टतया प्रमाणित था कि नहर की चौडाई में बाद सेटलमेंट अधिक वृद्धि कर वादी के खेत का नक्शा छोटा कर दिया गया है । इस प्रकार वादी द्वारा उक्त तथ्य को प्रमाणित कर दिये जाने के बावजूद परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार के0 पाटन को सीमांकन करने का आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी वकील वादी द्वारा बताने पर दिनांक 21.02.2019 को हुई । जानकारी होते ही उसी दिन नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसकी नकल दिनांक 01.03.2019 को हुई । वादी ने उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार के0 पाटन से निवेदन किया किन्तु उनके द्वारा निर्णय व डिक्री की पालना करने के बजाय पैमायश पर कार्यवाही करने के लिए कहने पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को गुणावगुण के आधार पर सही होना मानने के बावजूद पुनः तहसीलदार के0 पाटन को नाप जोखकर यदि सही पाये जाने की स्थिति में नक्शा दुरूस्ती करने का तथा वादी को स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करना उचित नहीं होना मानकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । कमीश्नर रिपोर्ट प्रदर्श–9 न्यायालय के आदेश से गठन किया गया जिसमें पटवारी माधोराजपुरा, पटवारी भीया, पटवारी के0 पाटन, भू–अभिलेख निरीक्षक भीया, व भू–अभिलेख निरीक्षक के0 पाटन द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु गै0मु0 चाह खसरा नम्बर 1847/2511 से सीमांकन प्रारम्भ कर तैयार की गई थी जिसमें खसरा नम्बर 1873 गै0मु0 नहर की चौडाई मौके पर दोनों तरफ से नापने पर रास्ता व ड्रेन सम्मिलित करते हुए 27 मीटर पायी गई जबकि वर्तमान नक्शे में उक्त चौडाई 48 मीटर दर्शायी गई है जिससे

स्पष्टतया प्रमाणित था कि नहर की चौडाई में बाद सेटलमेंट अधिक वृद्धि कर वादी के खेत का नक्शा छोटा कर दिया गया है । इस प्रकार वादी द्वारा उक्त तथ्य को प्रमाणित कर दिये जाने के बावजूद परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार के0 पाटन को सीमांकन करने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 7 व 8 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में जो मौका रिपोर्ट प्रदर्श– 9 संलग्न है उसमें सेटलमेंट विभाग नहीं है । उक्त मौका रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस खसरा नम्बर की कितनी भूमि किस खसरा नम्बर में चली गई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2068–2021 प्रदर्श–1 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम के0 पाटन की आराजी खसरा नम्बर 1851 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1852 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 1853 रकबा 0.25 हैक्टर कुल 03 किता की रकबा 1.18 हैक्टर भूमि लक्ष्मीबाई पत्नी राहुल व पुत्री गोविन्दलाल गुलाटी हिस्सा 1/2, गोविन्दलाल, देशराज, भारतभूषण पिस0 चिमनलाल, शान्तिदेवी पुत्री चिमनलाल, खेमीबाई बेवा चिमनलाल हिस्सा 1/2 के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2046 से 2049 प्रदर्श– 2 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम के0 पाटन की आराजी खसरा नम्बर 1232 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा भूमि तोलाराम वल्द उभयभन व चमनलाल वल्द जीवनदास के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–2021 प्रदर्श–3 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम के0 पाटन की आराजी खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 1850 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 1854 रकबा 0.10 हैक्टर कुल 03 किता की रकबा 1.00 हैक्टर भूमि परियोजना निदेशक भूमि विकास सीएडी कोटा के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 प्रदर्श– 4 पेश किया है जिसके अनुसार ग्राम के0 पाटन की आराजी खसरा 1873 रकबा 5.03 हैक्टर भूमि सिंचाई विभाग के खाते में दर्ज है । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 5 पेश किया है । नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–6 पेश किया है । नकल मिलान क्षेत्रफल सन् 01.04. 1995 से 31.03.2015 पद्रश– 7 पेश किया है । नकल खसरा गिरदावरी सवंत् 2068 से 2071 प्रदर्श– 8 पेश किया है । मौका रिपोर्ट दिनांक 14.05.2015 व 15.05.2015 प्रदर्श–9 पेश किया है ।

13. परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से बयान गोविन्द लाल पीडब्ल्यू–1, बद्रीलाल–पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

14. परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से बयान श्री मोहर डीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

15. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2015 के द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार को मौका कमीश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट चाही गई जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 14.05.2015 एवं 15.05.2015 प्रदर्श– 9 प्रस्तुत किया गया है । उक्त मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है "खसरा नम्बर 1847/2511 से ही जरीब चलाकर खाते के खसरा नम्बर 1849, 1850, 1851, 1852 को भी मौके पर पाया गया । मौके पर उक्त सभी खसरा नम्बरान का माप रिकॉर्ड अनुसार सही पाया गया । किन्तु नक्शे में खसरा नम्बर 1873 गै0मु0 नहर की चौडाई दोनों तरफ से नापने पर रास्ता व ड्रेन सम्मिलित करते हुए 27 मीटर पाई गई । जबकि नक्शे में उक्त नहर की चौडाई 48 मीटर दर्शाई गई है । उक्त नहर की लम्बाई को मध्यनजर रखते हुए रकबा बरारी करने पर भी नहर की चौडाई लगभग 27 मीटर ही आती है जो रिकॉर्ड अनुसार भी मिलान होती है । उक्त नहर की चौडाई नक्शे में कम करने पर दोनों तरफ की समीपस्थ खसरा नम्बरान की चौडाई बढेगी । जिसमे फलस्वरूप समीपस्थ खसरा नम्बरान के क्षेत्रफल का मिलान भी रिकॉर्ड के अनुसार नक्शे में सही दर्ज हो सकेगा ।" जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है तथा नक्शा दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ।

16. परीक्षण न्यायालय में मोहरसिंह गवाह डीडब्ल्यू – 1 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि किस दिशा में है तथा पूरी नहर का रकबा मुझे पता नहीं है रिकॉर्ड देखकर बता सकता हूँ । नहर के नये व पुराने रकबे में अन्तर हो यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि नहर का नवीन नक्शा नहीं बना है । इस प्रकार जिरह से स्पष्ट होता है कि गवाह को मौका–स्थिति व रिकॉर्ड की जानकारी का अभाव है ।

17. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में नक्शा नहर दुरूस्त करने योग्य पाते हुए तहसीलदार, के0 पाटन को निर्देशित किया गया है कि – **"तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि वादी के खाते की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1851, 1852, 1853, कुल किता 03 रकबा 1.18 हैक्टर वाके ग्राम के0 पाटन की सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में विधिवत नाप–जोख व रकबा बरारी करवाकर जिसमें पुराना व नया नक्शा शामिल हो, सेटलमेंट की रिपोर्ट अनुसार यही सही पाया जाता है तो नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे ।"** परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध समस्त राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि नक्शा दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है । प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो वादी के वाद व साक्ष्य का खण्डन करता हो । स्वयं परीक्षण न्यायालय ने नक्शा नहर को दुरूस्त करने योग्य माना है । परीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 19.02.2019 हो गया परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा यह भी ध्यान में लाया गया कि तहसीलदार द्वारा उक्त सीमांकन एवं रकबा दुरूस्ती की कार्यवाही नहीं की जा रही है । उनके द्वारा यह कार्यवाही कब की जावेगी कोई समय सीमा सुनिश्चित नहीं है । कोई

समय–सीमा निश्चित नहीं होने से अपीलान्ट को सदैव अपने अधिकारों से वंचित रहने का डर होता है । राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन व सही रखना राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है । हम अधिवक्ता अपीलान्ट के इन तर्कसंगत कथनों से सहमत हैं । ऐसी स्थिति में प्रकरण का समयबद्ध निस्तारण आवश्यक है ताकि वाद–बहुलता नहीं बढे । उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट से प्रकरण वादी के पक्ष में प्रतीत होता है । प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो वादी के वाद व साक्ष्य का खण्डन करता हो । स्वयं परीक्षण न्यायालय ने नक्शा नहर को दुरूस्त करने योग्य माना है । परीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 19.02.2019 हो गया परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

18. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.02.2019 आंशिक रूप से निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री **"तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि वादी के खाते की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1851, 1852, 1853, कुल किता 03 रकबा 1.18 हैक्टर वाके ग्राम के0 पाटन की सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में विधिवत नाप–जोख व रकबा बरारी करवाकर जिसमें पुराना व नया नक्शा शामिल हो, सेटलमेंट की रिपोर्ट अनुसार यही सही पाया जाता है तो नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही की जावे ।"** दिनांक 19.02.2019 की पालना में 03 माह के अन्दर कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें । जब तक तहसीलदार, के0 पाटन द्वारा उक्त आदेशानुसार नक्शा दुरूस्ती के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक रेस्पोडेन्ट कम संख्या 2 लगायत 4 अपीलान्ट को अपीलान्ट की वैधानिक खातेशुदा आराजी भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें । निर्णय की एक प्रति तहसीलदार, के0 पाटन को प्रेषित की जावे ।

19. निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा